अलावा ...
और सुनिता पुत्रीयान फकीरा अंकित किया है। इस प्रकार ...
आराजी के मुताबिक वादीया छः हकदार होते है और दादालाई आराजी में हिस्सा 1/5 चाहे जाने की सूरत में एवं वकील वादी/प्रार्थी के कथनानुसार प्रतिवादीगण का लिस्पेन्डेसी ऑफ शूट है एवं जब तक विचाराधीन वाद में जवाब दावा नहीं दिया हो तो उक्त प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सकते। प्रतिवादी सं0 01 द्वारा कराया गया बैयनामा नल एण्ड वॉईड है। जिस बाबत वकील अप्रार्थी/वादी ने नजीरे आरआरडी 1984 पेज 791, आरआरडी 1997 पेज 320, आरआरडी 1995 पेज 532 पेश की है। उक्त नजीरे प्रार्थना पत्र के संबंध में चस्पा साबित नहीं होने की स्थिति में भी प्रार्थिया/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

—:: आदेश ::—

अतः आराजी ख0नं0 167/0.18, 168/0.59 है0 वाके ग्राम शाहपुर एवं ख0नं0 574/0.35, 577/0.47, 581/0.30, 590/0.27, 594/0.37, 606/0.36, 608/0.15, 629/0.43, 634/0.41, 642/0.40, 645/0.38, 2106/572/0.25 है0 का 1/3 भाग व ख0नं0 595/0.40 है0 का 1/8 भाग वाके ग्राम मातोर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 के बाबत प्रार्थिया/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार योग्य पायी जाने की स्थिति में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद खारीज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 23.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

23/2/18

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

Scanned by CamScanner